

५ निक जागरूक  
31/02/12



Jagran Limited,  
Major metros of the  
Jagran requires

लड़के/लड़कियों  
यहां बहुत कृष्ण  
होना चाही है।

81 ही जाएगी।

graph.

Jagran

OW OPEN AT PACIFIC MALL, DEHRADUN

निदेशक परियोजना एमके जैन, निदेशक परिचालन अनुल  
अग्रवाल, मुख्य अधिवक्ता परियोजना सईद अहमद, अधीक्षण  
अधिवक्ता मोहित जोशी, राजकुमार आदि भौजूद रहे।

**उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून**  
(प्रभाग परिवर्तन एवं विकास) प्राधिकरण, रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

४८० पलां, शाजाहांगादी बहुउद्दरस्थी कॉम्पॉनेंट्स, डिस्ट्रीचरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड राज्य के समर्त Real Estate क्षेत्र में कार्यरत Real Estate Promoters को सुनित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Real Estate (Regulation & Development) अधिनियम, 2016, दिनांक 01 नवंबर 2017 से सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी हो गया है। जिसके अन्तर्गत Real Estate के क्षेत्र की आगामीय, व्यावसायिक तथा भूखण्ड आवासित परियोजनाओं का पंजीकरण आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं जिन पर विकासकर्ता द्वारा दिनांक 01 मई, 2017 से पूर्ण Completion Certificate नहीं दिया गया है, ऐसी सभी परियोजनाओं का पंजीकरण दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक अनिवार्य था। शासन द्वारा पूर्व के शासनादेश सख्त 1364/V-2-2017-79(आ) /2016 दिनांक 29.08.2017 को अधिकारित करते हुये शासनादेश सख्ता 178/V-2-2018-79(आ) /2016 दिनांक 01 फरवरी, 2018 के अनुसार पंजीकरण हेतु शास्ति की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की गयी है—

वर्तमान तिथि से दिनांक 28.02.2018 तक शूच्य प्रतिशत  
दिनांक 01.03.2018 से 31.03.2018 तक परियोजना की अनुमानित लागत के 1%  
दिनांक 01.04.2018 से 30.04.2018 तक परियोजना की अनुमानित लागत के 2%  
दिनांक 01.05.2018 से 31.05.2018 तक परियोजना की अनुमानित लागत के 5%  
दिनांक 01.06.2018 के उपरान्त परियोजना की अनुमानित लागत के 10%

इस के सम्बन्ध में राज्य के समर्त Real Estate Promoters को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये सुनित किया जाता है कि वह आवश्यक रूप से अपनी परियोजनाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें। पंजीकरण हेतु उड़ा की इकाई [www.ulhuda.org.in](http://www.ulhuda.org.in) में RERA Online लिंक के माध्यम से परियोजना का पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण में किसी भी प्रकार की समस्या हेतु दूसरा बंद्या 0135-2719500 व रोड हेल्प नंबर 8559901717 पर समर्पित किया जा सकता है।

नियमक प्राधिकारी

और  
तोहफ  
द्वारा

2017  
सुरक्षा  
प्राजन  
तर्ज  
दिव्या

मा

आ

देहरा

दुष्कर्म

आपेक्ष

की अं

जा

की मा

उसके

पड़ास

गया १

बच्ची

अन्य

मासूम

के पा

भागने

पर मौ

ले अ

के छि

प्रभारी

का द्व

ED • ICFRE • WII • CSV  
• ECOS • ONGC • UHE

On Par

ફુલ નોંધ માટે એનાબ આપી

એનાબ આપી માટે એનાબ

ફુલ નોંધ માટે


3  
-  
-  
-  
-

को समाधान पोर्टल को नियमित समीक्षा व शिकायतों के त्वरित निवारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान पिछली समीक्षा बैठक के पांच लिखित प्रकरणों की स्थिति भी देखी गई, बताया गया कि सभी प्रकरण निस्तारित हो गए हैं।

शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान देहरादून, चमोली, चंपावत, कूदमसिहनगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल के कुल 16 प्रकरणों पर शिकायतकर्ताओं से सीधे बात की गई। इसके साथ ही निर्देशालय स्तर की चार शिकायतों और सचिव स्तर की नौ शिकायतों की समीक्षा हुई। बैठक में समाज कल्याण और जनजाति कल्याण के कुल तीन प्रकरण थे, परंतु इन विभागों का कोई

स्पष्टीकरण बताने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक और आपदा प्रबंधन विभाग को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने बैठक के ठीक एक दिन पूर्व शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने समाधान पोर्टल पर ऑटो एस्केलेशन भी लाने करने का निर्देश दिया, जिससे इन तथा समय सीमा में निस्तारण न होने पर शिकायत सीधे अगले उच्चाधिकारी के पास पहुंच जाए।

देहरादून के कदम सिंह हटवाल ने राजस्व अभिलेखों में नाम गलवान दर्ज होने की शिकायत की मुख्यमंत्री ने वीडियो काफ़ेसिंग के माध्यम से शिकायतकर्ता को सुना और डीएम देहरादून को पटवारी को



उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून

(पृ-संसद (विभिन्न प्रकार के विकास) प्राधिकरण, संघ)

प्रबोले, राजीव गांधी बहुउद्देशीय कौमुदी देहरादून, उत्तराखण्ड

### आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त Real Estate क्षेत्र में कार्यरत Real Estate Promoters को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियम, 2018, दिनांक 01 मई 2017 से समर्पण राज्य में प्रभावी हो गया है। जिसके अन्तर्गत Real Estate के क्षेत्र की आवासीय, आवश्यक तथा मुख्यण्ड आवासित परियोजनाओं का पंजीकरण आवश्यक है। ऐसी परियोजनाएं जिन पर विकासकर्ता द्वारा दिनांक 01 मई 2017 से पूर्ण Completion Certificate नहीं दिया गया है, ऐसी सभी परियोजनाओं का पंजीकरण दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक आनिवार्य है। शासन द्वारा पूर्ण के शासनावेश संख्या 1384/V-2-2017-79(30)/2016 दिनांक 29.08.2017 को अधिकारित करते हुये शासनावेश संख्या 178/V-2-2018-79(30)/2016 दिनांक 01 फरवरी, 2018 के अनुसार पंजीकरण हेतु शास्ति की व्यवस्था निर्माण निर्धारित की गयी है।

संतोषनाम तिथि से दिनांक 28.02.2018 तक शून्य प्रतिशत  
दिनांक 01.03.2018 से 31.03.2018 तक परियोजना की अनुमानित लागत के 1%  
दिनांक 01.04.2018 से 30.04.2018 तक परियोजना की अनुमानित लागत के 2%  
दिनांक 01.05.2018 से 31.05.2018 तक परियोजना की अनुमानित लागत के 5%  
दिनांक 01.06.2018 के उपरान्त परियोजना की अनुमानित लागत के 10%

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त Real Estate Promoters को अतिन अवधि प्रदान करते हुये सूचित किया जाता है कि यह आवश्यक सभ से अपनी परियोजनाओं का पंजीकरण ऊनिविष्ट करें। पंजीकरण हेतु उडा की वेबसाइट [www.ukuda.org.in](http://www.ukuda.org.in) में RERA Online लिंक के माध्यम से परियोजना का पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण में किसी भी प्रकार की समस्या हेतु दूसरात्र संख्या 0136-2719500 व रोड हेल्प डेस्ट नम्बर 8859901717 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नियामक प्राधिकारी

### केंद्र

अमर उजाला

देहरादून।

ग्रीन बोनस के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र बच्चाव में उत्तरे उत्तराखण्ड को इ उदार है और इस केंद्र सरकार से यह बात उन्होंने का जिक्र न हो में कही।

ग्रीन बोनस की सरकार पर हरीश शर्वत, प्रदेव व राज्यसभा सांस पर अपनी प्रतिवि

મार्च 2018  
31/03/2018  
02-02-18